

## बफर स्टॉक संबंधी सुधार

### प्रलम्बिस् के लयिः

भारतीय ख़ादय नगिड (FCI), बफर स्टॉक, उपभोक्तता डूलय सूचकांक (CPI), डुदरासफ़ीत दर, आवशयक वसतुएँ, अकाल, ख़ादय सुरकषा, सार्वजनकि वतिरण प्रणाली (PDS), नयूनतड सडरथन डूलय (MSP), पंचवर्षीय योजना, लकषति सार्वजनकि वतिरण प्रणाली (TPDS), अनय कल्याणकारी योजनाएँ (OWS), NAFED, SFAC

### डेनूस के लयिः

[बफर स्टॉक और संबधति डुदरे](#)

[सुरतः इंडयिन एकसप्रेस](#)


## चरूा डें कयूँ?

हल ही डें गेहूँ और चना की [खुले बाज़ार डें बकिरी](#) ने अनाज तथा दालूँ की कीडतूँ डें होने वाली [सुफ़ीत](#) को रोकने डें डदद की, जो दरशाता है कि जलवायु डरविरतन के कारण ख़ादय आपूरतडें डदढती बाधाओं एवं इनके डूलय डें होने वाले उतार-चढाव को दृषुटगित रखते हुए अनय डरडुख ख़ादयानूँ का [बफर स्टॉक](#) बनाने की आवशयकता है ।

## भारत सरकार की बफर स्टॉक नीत कया है?

- [बफर स्टॉक](#) अथवा [सुरकषति डंडार](#) का तातुडरय कसिी वसतु के डंडारण से है जसिका उपयूग इसकी कीडत डें होने वाले उतार-चढाव और आकसुडकि आपात सुथतियिँ डें कथिा जाता है ।
- बफर स्टॉक की संकलडना डरथडतः [चूथी पंचवर्षीय योजना \(1969-74\)](#) डें डरसुतुत की गई थी ।
- भारत सरकार (GOI) दवारा [केंदरीय डूल](#) डें ख़ादयानूँ का बफर स्टॉक नडिनलखिति उददेशयूँ के लयि बनिए रखा जाता हैः
  - ख़ादय सुरकषा के लयि [नरिधरति नयूनतड डंडारण](#) आवशयकताओं को डुरा करना ।
  - [लकषति सार्वजनकि वतिरण प्रणाली \(TPDS\)](#) और [अनय कल्याणकारी योजनाओं \(OWS\)](#) के डधयड से आपूरतडें हेतु ख़ादयानूँ का डासकि आवंटन ।
  - अनडेकषति डसल नाश, डुराकृतकि आपदाओं आदि से उत्डुनन [आपात सुथतियिँ](#) से नडिटना ।
  - खुले बाज़ार की कीडतूँ को नयितुडरति करने डें डदद के लयि बाज़ार हसुतकषेड के डधयड से [डूलय सुथरीकरण](#) या आपूरतडें डें वृदुधकिरना ।
- [आरुथकि डाडडलूँ की डंतुरडिंडलीय सडतिति](#) डडिही आधार डर नयूनतड डंडारण आवशयकता हेतु डानदंड नरिधरति करती है ।
  - बफर स्टॉक के आँकडूँ की [सडीकषा](#) डुरायः [डरतुडेक डूँच वरुष के उपरानुत](#) की जाती है ।
- सरकार ने बफर स्टॉक के लयि दालूँ की खरीद हेतु [भारतीय राषुटरीय कृषि सहकारी वडिणन संघ लडडिटिंड \(NAFED\)](#), [लघु कृषक कृषि-वयवसाय संघ \(SFAC\)](#) और [भारतीय ख़ादय नगिड \(FCI\)](#) को नयुकुत कथिा है ।
- [नयूनतड डंडारण डानदंडूँ](#) के अतरिकुत सरकार ने गेहूँ (वरुष 2008 से) और चावल (वरुष 2009 से) का रणनीतकि डंडारण नरिधरति कथिा है ।
  - वरुष 2015 डें सरकार ने दालूँ की कीडतूँ डें उतार-चढाव को नयितुडरति करने के लयि [1.5 लाख टन दालूँ का बफर स्टॉक](#) तैयार कथिा ।
- वरुतडान डें सरकार दवारा नरिधरति डंडारण डानदंडूँ डें शलडलि हैंः
  - [डरचालन स्टॉक](#): यह TPDS और OWS के तहत डासकि वतिरण आवशयकताओं को डुरा करने से संबधति है ।
  - [ख़ादय सुरकषा डंडार/रज़िरव](#): यह खरीद डें होने वाली कडी की डुरतुकिरने से संबधति है ।
- [केंदरीय डूल](#) डें ख़ादयानुन डंडार डें [भारतीय ख़ादय नगिड \(FCI\)](#), [वकिंदरीकृत खरीद योजना](#) डें डडग लेने वाले राजूयूँ तथा राजूय सरकार एजेंसयिँ ([SGA](#)) दवारा बफर और डरचालन डूनुँ आवशयकताओं के लयि रखे गए स्टॉक शलडलि हैं ।

# STOCKS IN CENTRAL POOL ON JAN 1




\*Minimum operational stock plus strategic reserve for January 1; \*\*Includes rice equivalent of un-milled paddy; Source: Food Corporation of India

## भारतीय खाद्य नगिम (FCI)

- FCI एक सरकारी स्वामित्व वाला नगिम है जो भारत में खाद्य सुरक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है।
  - इसकी स्थापना वर्ष 1965 में खाद्य नगिम अधिनियम, 1964 के तहत पूरे देश में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाज़ार में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी।
- FCI खाद्य संबंधी कमी या संकट के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को भी बनाए रखता है।
- FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पूरे देश में खाद्यान्न वितरण हेतु उत्तरदायी है।
- FCI ई-नीलामी भी आयोजित करता है जो कि अधिशेष खाद्यान्न से निपटने के तरीकों में से एक है।

## Current Indian food-administration diagram



### बफर स्टॉक के लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

#### ▪ लाभ:

- **खाद्य सुरक्षा:** सूखा, बाढ़ या अन्य संकट जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान जनता, विशेषकर कमजोर वर्गों के लिये खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- **मूल्य स्थिरीकरण:** आपूर्तको वनियमिति करके बाज़ार में आवश्यक खाद्यान्नों की स्थिर कीमतें बनाए रखना।
  - वर्ष 2022-23 में **भारतीय खाद्य नगिम (Food Corporation of India - FCI)** ने बाज़ार में आपूर्तबढ़ाने के लिये 34.82 लाख टन गेहूँ जारी किया।
  - FCI की खुले बाज़ार में बिक्री योजना ने अनाज और गेहूँ में खुदरा **मुद्रासफ़ीति** को काफी कम कर दिया।
- **किसानों को समर्थन:** किसानों को उनकी उपज के लिये न्यूनतम मूल्य का आश्वासन देता है, जिससे उनकी आय स्थिर होती है और कृषि उत्पादन को नरितर बढ़ावा मलित है।
- **आपदा प्रबंधन:** प्राकृतिक आपदाओं के दौरान बनिा देरी के खाद्यान्न की आपूर्त करके तत्काल राहत प्रदान करना। जैसे- **कोवडि-19** के दौरान मुफ्त राशन की आपूर्त।

#### ▪ चुनौतियाँ:

- **भंडारण संबंधी मुद्दे:** भारत को अपर्याप्त भंडारण सुवधियों के संदर्भ में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके

कारण खाद्यान्न की बर्बादी और खराबी होती है।

- **अधप्राप्ति असंतुलन:** विभिन्न अनाजों की खरीद में अक्सर असंतुलन होता है, जिसके कारण कुछ अनाजों का स्टॉक अधिक हो जाता है, जबकि अन्य का कम हो जाता है।
- **वर्तनीय भार:** बड़े बफर स्टॉक को बनाए रखने के लिये खरीद, भंडारण और वितरण से संबंधित उच्च वर्तनीय लागत की आवश्यकता होती है।
- **वितरण में अक्षमताएँ:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अक्सर लीकेज, चोरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएँ होती हैं, जो बफर स्टॉक के प्रभावी वितरण में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- **गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ:** लंबे समय तक भंडारित खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

## आगे की राह

- **खरीद पद्धतियों में विविधता लाना:** सरकारी खरीद फलिहाल चावल, गेहूँ और कुछ दालों तथा तलिनहनों तक ही सीमित है। इसमें मुख्य सक्ज़रियों और स्कमिड मलिक पाउडर (skimmed milk powder - SMP) जैसी अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुओं को शामिल करने से कीमतों को और स्थिर करने में मदद मिल सकती है।
  - केंद्र सरकार प्याज के बफर स्टॉक की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिये विकिरण की एक सुरक्षित, विनियमित खुराक का उपयोग करके **प्याज के विकिरण** को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की योजना बना रही है, जो अंकुरित होने से रोकता है और खराब होने की संभावना को कम करता है।
- **बफर स्टॉक मानदंडों का वैज्ञानिक मूल्यांकन:** दशकीय जनगणना डेटा तथा खाद्यान्न वितरण प्रतबिद्धताओं के आधार पर परिचालन एवं रणनीतिक बफर खाद्यान्न स्टॉक के लिये **तार्किक मूल्यांकन एवं मानदंड** निर्धारित करने के लिये अर्थमतीय विधियों एवं समय-शृंखला डेटा का उपयोग करना।
- **गतशील बफर मानदंड:** भारत के वर्तमान तमिही बफर स्टॉक मानदंडों को वास्तविक समय के आँकड़ों के साथ संरेखित करने हेतु अधिक गतिशील दृष्टिकोण पर विचार करना चाहिये।
  - फसल उपज पूर्वानुमान, अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के रुझान एवं संभावित व्यवधानों जैसे कारकों के आधार पर बफर स्टॉक के स्तर को समायोजित करने के लिये कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग एवं **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय** के आँकड़ों का उपयोग करना।
- **तकनीकी समेकन:** पारदर्शी एवं सुरक्षित बफर स्टॉक प्रबंधन के लिये **ब्लॉकचेन** जैसी तकनीक को एकीकृत करने पर विचार करना। इसके अतिरिक्त, उत्पादन को प्रभावित करने वाली संभावित मौसम की घटनाओं के आधार पर बफर स्टॉक को पहले से समायोजित करने के लिये **भारत मौसम विज्ञान विभाग** के मौसम पूर्वानुमान डेटा का उपयोग करने पर भी विचार करना।
- **विकिपर वितनीय व्यवस्था:** यह सुनिश्चित करना कि बफर स्टॉक बनाए रखने का वर्तनीय बोझ बेहतर बजटिंग एवं क्रय अक्षमताओं को कम करके प्रबंधित किया जाता है।
- **नजी क्षेत्र की सहभागिता:** FCI के बफर स्टॉक के प्रबंधन के साथ-साथ भंडारण सुविधाओं, रसद अथवा जोखिम प्रबंधन रणनीतियों जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये नजी अभिकर्ताओं के साथ सहयोग स्थापित करना।
- **प्रतसिपर्द्धी उद्देश्यों को अलग करना:** बफर-स्टॉक परिचालन में टकराव तथा अकुशलता से बचने के लिये **मूल्य स्थिरीकरण, खाद्य सुरक्षा एवं उत्पादन प्रोत्साहन** के लक्ष्यों को अलग-अलग करना।

**दृष्टिमेन्स प्रश्न:**

**प्रश्न.** भारत में बफर स्टॉक को विविधतापूर्ण बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिये। इस विधिीकरण से जुड़ी मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:**

**प्रश्न.** जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये। (2021)

1. भारत में 'जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट वलैज)' दृष्टिकोण, अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।
2. सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है।
3. भारत में स्थिति अंतरराष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?**

(a) केवल 1 और 2

- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

**प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत किये गए प्रावधानों के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)**

1. केवल 'गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आने वाले परिवार ही सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं ।
2. परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उमर की सबसे अधिक उमर वाली महिला ही राशन कार्ड नरिगत कयि जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी ।
3. गर्भवती महिलाएँ एवं दुग्ध पलाने वाली माताएँ गर्भावस्था के दौरान और उसके छः महीने बाद तक प्रतदिनि 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं ।

**उपर्युतत कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

**??????**

**प्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के द्वारा कीमत सहायकी का प्रतस्थापन भारत में सहायकियों के परदृश्य का कसि प्रकार परविरतन कर सकता है? चर्चा कीजयि । (2015)**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/revamping-buffer-stock>

